

कायालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,  
अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2020 / एफसीए / प्रमुखसं / 4379

दिनांक 04/11/23

शासन सचिव,  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

विषय:--Diversion of 0.122 Ha. of forest land in favour of Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Construction of from 132 KV GSS Chandan to Proposed 132 KV GSS Mohangarh of 132 KV GSS Mohangarh of 132 S/C Chandan-Mohangarh Transmission Lines" District Jaisalmer (Rajasthan) (Proposal No. FP/RJ/TRANS/44263/2020) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव बाबत।

संदर्भ:--विशेषाधिकारी, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक प. 1(67)वन/2021/जयपुर दिनांक 27.12.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्रकरण में राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.11.2021 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 9 एवं 17 की पालना में उप वन संरक्षक, जैसलमेर के पत्रांक 6554 दिनांक 30.11.2022 से प्राप्त वचनबद्धता के दो सैट प्रेषित है। कृपया अग्रिम कार्यवाही करावें।

संलग्न:--दो सैट।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2020 / एफसीए / प्रमुखसं / 4380-82 दिनांक 04/11/23  
प्रतिलिपि:--निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
2. उप वन संरक्षक, जैसलमेर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, 132 के.वी. जी.एस.एस. जोधपुर रोड, जैसलमेर।

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफसीए)  
अरण्य भवन, जयपुर





# कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर



श्रीधर योजना

केन्द्रीय बसा स्टेट्स के सामने बाह्य रोड, जैसलमेर Email: dcfjsm@gmail.com

क्रमांक एफ ( )उवस/तकनिकी/2022-23/6554

दिनांक: 30/11/22

निमित्त,

श्रीमान अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी) एफसीए  
राजस्थान जयपुर

विषय:- Diversion of 0.122 ha. Of forest land in favour of Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd Construction of from 132 KV GSS Chandan to Proposed 132 KV GSS Mohangarh of 132 Kv GSS Mohangarh of 132 S/C Chandan-Mohangarh Transmission Lines" District Jaisalmer (Rajasthan) Proposal No. FP/Rj/TRANS/44263/2020 में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव बाबत।

प्रसंग:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( वन बल प्रमुख) राजस्थान का पत्र क्रमांक 1828 दिनांक 31/05/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 9 एवं 17 की अनुपालना को पूर्ण नहीं माना था। जिसकी पालना तीन प्रतियों में चाही गई थी।

अतः उक्त संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त शर्त संख्या 9 एवं 17 की अनुपालना रिपोर्ट तीन प्रतियों में इस पत्र में संलग्न कर आगामी कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

96  
6/12/22

E.C.A  
जका  
9/12

9/12/22

भवदीय

(जी.के. वर्मा)  
आई.एफ.एस  
उप वन संरक्षक  
जैसलमेर

क्रमांक एफ ( )उवस/तकनिकी/2022-23/

दिनांक:-

प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षक जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

11/12  
RVPN  
9/12


उप वन संरक्षक  
जैसलमेर




## (वचनबद्धता प्रमाण पत्र)

(शर्त संख्या 09 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1(67) वन / 2021 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई शैक्षणिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 की अनुपालना में यह प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन जीआईबी के उड़ान मार्ग का लंबवत पार कर रही है, जीआईबी के संरक्षण के लिए उचित उपाय किये जायेंगे एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा गोडावण के संरक्षण हेतु लाइन बर्ड डायवर्टर/रिफ्लेक्टर लगाये जायेंगे।

  
जी. के. वर्मा  
IFS  
वन संरक्षण  
जैसलमेर

  
अधिसाषी अभियन्ता (टीएण्डसी)  
राजविप्रनिलि, जैसलमेर





# RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN) U40109RJ2000SGC016485]  
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005


OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RRVPNL, JAISALMER  
132 KV GSS PREMISES, RRVPNL, Jaisalmer-345001 (Raj.) Mob. No. +91-9414061542  
E-mail: xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in website: www.http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl

## (वचनबद्धता प्रमाण पत्र)

(शर्त संख्या 17 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1(67) वन / 2021 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या ~~09~~<sup>17</sup> की अनुपालना में जीआईबी आर्क के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने या बर्ड डायवर्टर लगाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

  
जी. सी. शर्मा  
IFS  
उप वन संरक्षक  
जैसलमेर

  
अधिशायी अभियन्ता (टीएण्डरी)  
साराविप्रनिलि, जैसलमेर